# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक

**(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)**

मिशल संख्याः– 375 / 2020

निर्णय दिनांक :–29.07.2022

**उनवानी अपील :**

1. हनुमान पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी अम्बापुरा कॉलोनी, दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0

– अपीलान्ट –

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत गांवड़ी, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत गांवड़ी तहसील देवली जिला–टोंक राज0
2. तहसीलदार देवली, जिला टोंक
3. श्योजी राम पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी अम्बापुरा कॉलोनी, दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0

– रेस्पोडेन्ट –

**उपस्थिति :–**
**श्री अरविन्द कुमार**
**अधिवक्ता अपीलान्ट**

**एकपक्षीय कार्यवाही**
**विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1**
**इकबालिया जवाब**
**रेस्पोडेंट संख्या 3**

**अपील विरूद्ध आदेश संरपंच ग्राम पंचायत गांवड़ी**
**दिनांक 07.04.2015 नामान्तकरण संख्या 115**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट 3 के पिता रामानारायण पुत्र छगना जाति धाकड़ निवासी अम्बापुरा कॉलोनी, दोलता तहसील देवली जिला टोंक राज0 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि ख. नं. 32 रकबा 0.44 है0, ख. नं. 56 रकबा 2.00 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 2.44 है0 वाके ग्राम अम्बापुरा पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त भूमि में अपीलांट एवं रेंस्पोडेंट संख्या 3 के पिता रामनारायण का 1 / 3 हिस्सा है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 के पिता रामनारायण धाकड़ की मृत्यु दिनांक 11.01.2015 को होने के बाद उनका विरासत का नामांतकरण संख्या 115 दिनांक 07.04.2015 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खोला गया जिसमें अपीलांट का नाम मान्या पुत्र रामनारायण अंकित कर दिया गया जो पूर्ण रूप से गलत है जबकि अपीलांटस का वास्तविक नाम हनुमान पुत्र रामनारायण धाकड़ है। मान्या नाम का कोई पुत्र रामनारायण धाकड़ के नहीं है। अपीलांट का नाम नामातकरण में गलत अंकित किया है जिससे उत्पीड़ित होकर यह अपील कई कारणों से निम्न रूप से

पेश हैः–अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गांवड़ी का आदेश विधी विधान तथा तथ्यो के विपरीत है इसके कारण से निरस्त किये जाने योग्य है। सरपंच ग्राम पंचायत गांवड़ी ने नामान्तकरण भरने से पूर्व मौके पर जाकर मृतक रामनारायण के वारिसान के नाम बाबत् कोई जांच नहीं की और ना ही आस–पास के पडौसियों के बयान लिये गये इस कारण उक्त नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक रामनारायण धाकड की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत गांवड़ी ने नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट से नाम संबंधी कोई दस्तावेज प्राप्त नही किये तथा अपीलांट का नाम गलत अंकित कर दिया। अपीलांट के सभी सरकारी रिकार्ड में अपीलांट का नाम हनुमान है जो मृतक रामनारायण का पुत्र है इस बात पर भी ध्यान नही देकर कानूनी भूल की है। दिनांक 18.08.2020 को जब अपीलांट ने हल्का पटवारी से उक्त आराजीयात की नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित हो गया है जिसे हनुमान पुत्र रामनारायण धाकड के नाम से शुद्ध किया जाना आवश्यक है। अन्य सहखातेदार के विरूद्ध कोई रिलिफ नहीं चाही गई है इसलिएं अपील में उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलांट द्वारा यदि अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई हो तो उसको क्षमा किये जाने के लिये अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर सरपंच ग्राम पंचायत गांवड़ी जिला टोंक द्वारा भरा गया नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 07.04.2015 को निरस्त फरमाया जावे तथा हनुमान पुत्र रामनारायण जाति धाकड के नाम से पुनः नामान्तकरण भरे जाने का आदेश प्रदान करे।

संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने एक एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का इस अपील प्रकरण में उतरदायित्व नहीं है।

रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा इकबालिया जवाब में अपील के तथ्यो को ही पेश कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की और लिखा कि अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मान्या के स्थान पर हनुमान पुत्र रामनारायण धाकड़ किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के मुख्य तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण बिना जांच किये भरा जो खारिज करने योग्य है। अतः न्यायालय अपील स्वीकार की ग्राम पंचायत गांवड़ी द्वारा भरा गया नामान्तकरण खारिज करने व पुन नामान्तकरण भरने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण पंजिका ग्राम गांवडी में नामान्तकरण 115 में कॉलम संख्या 7 में खातेदार रामनारायण पुत्र छगना के नाम का अंकन है। रामनारायण के फौत होने के बाद कॉलम संख्या 9 में श्योजीराम, मान्या पुत्र रामनारायण का अंकन कर दिया जिसमें अपीलांट मान्या के स्थान पर हनुमान करवाने हेत उक्त

नामान्तकरण खारिज करने व मान्या के स्थान पर हनुमान करने की प्रार्थना की है। रामनारायण के पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 3 ने इकबालिया जवाब पेश कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संम्वत 2068-71 में यह अंकन है कि ना. सं. 115 दिनांक 07.04.15 विरासत से रामनारायण पि. छगना हि. 1/3 में श्योजीराम मान्या पुत्र रामनारायण का नाम दर्ज करने की स्वीकृत है। आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड व भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र रामनारायण का अंकन है। उक्त से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण भरते समय रामनारायण के वारिसान में एक पुत्र के नाम का अंकन गलत कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 07.04.15 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार देवली को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रामनारायण के विधिक वारिसान की जाच, किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में, सही पाये जाने पर अपीलान्ट के नाम नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करे। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
देवली